For ... Legislation.

Regd. No. J. 30

राजस्थान राज-पत्र

सत्यमेव जयते

विशेषांक

Rajasthan Gazette

EXTRAORDINARY

साधिकार प्रकाशित] [Published by Authority

वैशाख ९, शुक्रवार, शक सम्वत् १८८७--अप्रेल ३०, १९६५

Vaisakha 9, Friday, Shak Samvat 1887--April 30, 1965

भाग ४ (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम आदि

LAW (A) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, April 30, 1965.

No. F. 7 (15)-L/65.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 28th day of April, 1965, and is published for general information:—

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS) (SECOND AMENDMENT) ACT, 1965.

(Act No. 11 of 1965)

[*Received the assent of the Governor on the 28th day of April, 1965.*].

An

Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) (Second Amendment) Act, 1965.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1965.

2. *Amendment of section 3, Rajasthan Act 6 of 1957.*—In section 3 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) in clause (a), for the words "one thousand rupees", the words "one thousand two hundred and fifty rupees" shall be substituted; and

(b) in clause (b), for the words "eight hundred rupees", the words "one thousand rupees" shall be substituted.

3. *Insertion of new section 3A in Rajasthan Act 6 of 1957.*—After section 3 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"3A. *Sumptuary allowance.*—There shall be paid, in addition to the salary payable under clause (a) of section 3, to the Speaker of the Legislative Assembly, a sumptuary allowance of two hundred and fifty rupees per mensem.".

4. *Insertion of new section 4A in Rajasthan Act 6 of 1957.*—After section 4 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"4A. *Consolidated allowance.*—There shall be paid to each member during the whole of his term of office a sum of one hundred rupees per month as a consolidated allowance for all matters not specifically provided for by or under the provisions of this Act.".

5. *Amendment of section 5, Rajasthan Act 6 of 1957.*—In section 5 of the principal Act, in sub-section (2), for the words

"two hundred and fifty rupees", the words "five hundred rupees" shall be substituted.

6. *Amendment of section 6, Rajasthan Act 6 of 1957.*— In section 6 of the principal Act, in sub-section (2), after the expression "two hundred and fifty rupees", the expression ": and if he does not avail himself of the use at his residence of furniture provided by the Government, he shall be paid a monthly allowance of fifty rupees" shall be added.

7. *Amendment of section 6A, Rajasthan Act 6 of 1957.*— In section 6A of the principal Act, for the word and punctuation mark "of –" and the clauses (a) and (b), the expression "of charges due from him on account of consumption of electricity and water at his residence; provided that such payment shall not exceed such limits as may be prescribed" shall be substituted.

8. *Amendment of section 6C, Rajasthan Act 6 of 1957.*— In section 6C of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b) of the Explanation, for the expression "specified in clauses (a) and (b) of section 6A", the expression "prescribed under section 6A in the case of officers of the Legislative Assembly" shall be substituted.

9. *Amendment of section 8, Rajasthan Act 6 of 1957.*— In clause (b) of sub-section (1) of section 8 of the principal Act, for the words "fifteen rupees", the words "twenty-one rupees" shall be substituted.

SOHAN LAL AGRAWAL,
Secretary to the Government.

विधि (क) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल ३०, १९६५

संख्या एफ. ७ (१५)-एल।६५:—राजस्थान राजभाषा अधिनियम, १९५६ (अधिनियम ४७ सन् १९५६) की धारा ४ के अनुसरण में राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्यूमेन्टस्) (सैकिण्ड अमेन्डमेन्ड) एक्ट, १९६५ (राजस्थान एक्ट नं० ११ आफ १९६५) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६५

(अधिनियम संख्या ११ सन् १९६५)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक २८ अप्रेल, १९६५ को प्राप्त हुई]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, १९५६ में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के सोलहवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है:—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(१) यह अधिनियम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

(२) यह दिनांक १ अप्रेल, १९६५ से प्रभावशील हुआ समझा जावेगा।

२. राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७ की धारा ३ का संशोधन:—राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, १९५६ (राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७) जिसे एतस्मिन पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्दों "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार दो सौ पचास रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे; तथा

(ख) खण्ड (ख) में, शब्दों "आठ सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

३. राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७ में नई धारा ३-का का निवेशन:—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा निविष्ट की जायगी, अर्थात्:—

"३ का. आतिथ्य-भत्ता—राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष को, धारा ३ के खण्ड (क) के अन्तर्गत देय वेतन के अतिरिक्त दो सौ पचास रुपये का आतिथ्य भत्ता प्रति मास दिया जायगा।

४. राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७ में नई धारा ४-का का निवेशन:--मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा निविष्ट की जायगी, अर्थात् :--

"४-का. संवेक्षित भता--प्रत्येक सदस्य को उसके संपूर्ण कार्यकाल की अवधि में ऐसे समस्त मामलों के निमित्त जिनके लिये इस अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा या तदन्तर्गत निर्दिष्टतया प्रावधान नहीं किया गया हो, एक सौ रुपये की राशि प्रतिमाह संवेक्षित-भत्ते के रूप में दी जायगी।"

५. राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७ की धारा ५ का संशोधन:—मूल अधिनियम की धारा ५ में, उप-धारा (२) में शब्दों "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

६. राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७ की धारा ६ का संशोधन:—मूल अधिनियम की धारा ६ में, उप-धारा (२) के अंत में, अभिव्यक्ति "; और यदि वह अपने निवास स्थान में ऐसे फर्नीचर का उपयोग न करे जिसकी सरकार द्वारा व्यवस्था की गई हो, तो उसे पचास रुपये का मासिक भत्ता दिया जायगा," जोडी जायगी।

७. राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७ की धारा ६-का का संशोधन:—मूल अधिनियम की धारा ६-का. में शब्द "करे या नहीं" के पश्चात् अभिव्यक्ति "(क) उसके निवास स्थान पर किसी भी मास में बिजली के उपयोग के कारण उसके द्वारा देय ऐसी राशि जो पिचत्तर रुपये से अधिक न हो, और

(ख) ऐसे निवास स्थान पर किसी भी मास में पानी के उपयोग के कारण उसके द्वारा देय ऐसी राशि जो पच्चीस रुपये से अधिक न हो,

के, सरकार द्वारा उसके निमित्त तथा उसकी ओर से भुगतान की रियायत का पदावधि पर्यन्त और अधिकारी होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपने पूरे कार्यकाल की अवधि के दौरान अपने निवास स्थान पर विद्युत् एवं जल के उपभोग के कारण स्वयं द्वारा देय व्यय का भुगतान, अपने लिये तथा अपनी ओर से, सरकार द्वारा किये जाने की रियायत का भी हकदार होगा; परन्तु शर्त यह है कि उक्त भुगतान ऐसी सीमाओं से जो कि निर्धारित की जायें, अधिक नहीं होगा।" प्रतिस्थापित की जायगी।

८. राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७ की धारा ६-गा का संशोधन:—मूल अधिनियम की धारा ६-गा. में, उप-धारा (१) में स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) में अभिव्यक्ति "धारा ६-क के खण्ड (क) तथा (ख) में निर्धारित" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा ६-का में विधान सभा के अधिकारियों के संबंध में निर्धारित" प्रतिस्थापित की जायगी।

९. राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७ की धारा ८ का संशोधन:—मूल अधिनियम की धारा ८ की उप-धारा (१) के खण्ड (ख) में शब्दों "पन्द्रह रुपये" के स्थान पर शब्द "इक्कीस रुपये" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

सोहनलाल अग्रवाल,
शासन सचिव।